

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

मांग संख्या 24

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	26475.66	...	26475.66	32333.06	...	32333.06	27411.18	...	27411.18	22356.60	...	22356.60
<b>वसूलियां</b>	-9999.96	...	-9999.96	-12322.27	...	-12322.27	-3400.00	...	-3400.00	...	...	...
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>16475.70</b>	...	<b>16475.70</b>	<b>20010.79</b>	...	<b>20010.79</b>	<b>24011.18</b>	...	<b>24011.18</b>	<b>22356.60</b>	...	<b>22356.60</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	11.55	...	11.55	12.52	...	12.52	12.91	...	12.91	13.50	...	13.50
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन</b>												
2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम												
2.01 पेयजल गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र	13.00	...	13.00	34.00	...	34.00	34.00	...	34.00	52.00	...	52.00
2.02 मिशन प्रबंधन	7.67	...	7.67	7.90	...	7.90	7.90	...	7.90	7.90	...	7.90
2.03 संस्थानों इत्यादि को सहायता	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
2.04 सम्मलेन, संगोष्ठियां, प्रदर्शनी	0.65	...	0.65	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10
2.05 मानव संसाधन विकास	0.78	...	0.78	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
2.06 निगरानी एवं मूल्यांकन	2.70	...	2.70	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50
2.07 सूचना, शिक्षा एवं संचार	8.22	...	8.22	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
2.08 प्रबंधन सूचना प्रणाली	9.20	...	9.20	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
2.09 अनुसंधान	0.61	...	0.61	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2.10 राष्ट्रीय प्रबंधन इकाई परियोजना	0.19	...	0.19	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	1.50	...	1.50
2.11 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - सामान्य कार्यक्रम	5106.72	...	5106.72	5105.50	...	5105.50	6478.85	...	6478.85	6611.00	...	6611.00
2.12 मरुभूमि क्षेत्र विकास कार्यक्रम	574.97	...	574.97	575.00	...	575.00	201.65	...	201.65	...	...	...
2.13 विश्व बैंक सहायता (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)	249.98	...	249.98	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
घटक)												
2.14 थोक जल की आपूर्ति के लिए योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.15 राष्ट्रीय प्रबंधन इकाई परियोजना - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक	0.33	...	0.33	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	1.50	...	1.50
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5980.02	...	5980.02	6050.00	...	6050.00	7050.00	...	7050.00	7000.00	...	7000.00
<b>स्वच्छ भारत मिशन</b>												
3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)												
3.01 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को अंतरण	10000.00	...	10000.00	12322.27	...	12322.27	3400.00	...	3400.00	...	...	...
3.02 निगरानी एवं मूल्यांकन	1.01	...	1.01	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
3.03 मानव संसाधन विकास	0.95	...	0.95	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
3.04 अनुसंधान	0.14	...	0.14	10.00	...	10.00	...	...	...	1.00	...	1.00
3.05 सूचना, शिक्षा एवं संचार	209.91	...	209.91	418.00	...	418.00	318.00	...	318.00	300.00	...	300.00
3.06 प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटरीकरण	0.09	...	0.09	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
3.07 कार्यक्रम घटक	10271.96	...	10271.96	11872.27	...	11872.27	15722.27	...	15722.27	13616.10	...	13616.10
3.08 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक	0.03	...	0.03	1626.00	...	1626.00	900.00	...	900.00	1414.00	...	1414.00
3.09 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से राशि पूरी की जाएगी	-9999.96	...	-9999.96	-12322.27	...	-12322.27	-3400.00	...	-3400.00	...	...	...
<i>निवल</i>	10484.13	...	10484.13	13948.27	...	13948.27	16948.27	...	16948.27	15343.10	...	15343.10
<b>जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>16464.15</b>	...	<b>16464.15</b>	<b>19998.27</b>	...	<b>19998.27</b>	<b>23998.27</b>	...	<b>23998.27</b>	<b>22343.10</b>	...	<b>22343.10</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>16475.70</b>	...	<b>16475.70</b>	<b>20010.79</b>	...	<b>20010.79</b>	<b>24011.18</b>	...	<b>24011.18</b>	<b>22356.60</b>	...	<b>22356.60</b>
<b>ख. योजना परिव्यय</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. जलापूर्ति और स्वच्छता	10037.38	...	10037.38	12423.27	...	12423.27	3485.00	...	3485.00	450.50	...	450.50
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>10037.38</b>	...	<b>10037.38</b>	<b>12423.27</b>	...	<b>12423.27</b>	<b>3485.00</b>	...	<b>3485.00</b>	<b>450.50</b>	...	<b>450.50</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	11.55	...	11.55	12.52	...	12.52	12.91	...	12.91	13.50	...	13.50
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>11.55</b>	...	<b>11.55</b>	<b>12.52</b>	...	<b>12.52</b>	<b>12.91</b>	...	<b>12.91</b>	<b>13.50</b>	...	<b>13.50</b>
<b>अन्य</b>												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1969.83	...	1969.83	2370.00	...	2370.00	2234.31	...	2234.31
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	6426.48	...	6426.48	5603.67	...	5603.67	18142.77	...	18142.77	19635.79	...	19635.79
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.29	...	0.29	1.50	...	1.50	0.50	...	0.50	22.50	...	22.50
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>6426.77</b>	...	<b>6426.77</b>	<b>7575.00</b>	...	<b>7575.00</b>	<b>20513.27</b>	...	<b>20513.27</b>	<b>21892.60</b>	...	<b>21892.60</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>16475.70</b>	...	<b>16475.70</b>	<b>20010.79</b>	...	<b>20010.79</b>	<b>24011.18</b>	...	<b>24011.18</b>	<b>22356.60</b>	...	<b>22356.60</b>

1. **सचिवालय:** पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम:** राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः नल जल आपूर्ति के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को सहायता देना है। इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, गुणवत्ता प्रभावित बसावटों सहित सभी ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल प्रावधान के साथ उनके कवरेज, सहायक गतिविधियों (जैसे आईईसी, प्रशिक्षण, एमआईएस और कम्प्यूटराइजेशन आदि) और जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग और निगरानी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

3. **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):** सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए सबसे अधिक महत्व देना जारी रखा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)- एसबीएम (जी) की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2014 को हुई थी। वर्तमान में 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए एसबीएम (जी) 685 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एसबीएम जी का लक्ष्य दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना है। स्कीम का बल, व्यवहार में परिवर्तन लाने और शौचालयों के उपयोग पर है।